छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

सी.बी.डी.कमर्षियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर सेक्टर 21 मुख्यालय अटल नगर रायपुर (छ.ग) 492002

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी)

धान संग्रहण केन्द्रों में अर्धकुशल एवं अकुशल नियोजन हेतु

पुनः अल्पकालिन निविदा

फर्म का नाम
मनी रसीद कमांक/ड्राफ्ट कमांक/दिनांक

निविदा

क्रमांक/विपणन/2018/ / रायपुर दिनांक .....

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाईट में पंजीकृत इच्छुक एवं योग्य एजेन्सियों से राज्य के धान संग्रहण केन्द्रों में विपणन संघ द्वारा निर्धारित नियमों के तहत धान की ट्रकों से लोडिंग/अनलोडिंग, किस्म परीक्षण, सुरक्षा हेतु अर्धकुषल एवं अकुषल श्रमिकों की आवश्यकता हेतु ई–निविदा के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक प्रस्तावकर्ता अपना प्रस्ताव निर्धारित फार्म में वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in एवं वेबसाईट www.markfed.cg.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर भर सकते हैं, जिसके लिए राषि 5,000/– (पांच हजार रूपये मात्र) RTGS/NEFT के माध्यम से विपणन संघ के बैंक खातें में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक जिला कार्यालय हेतु अलग–अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएगें।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

सी.बी.डी.कमर्षियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर
सेक्टर 21 मुख्यालय अटल नगर रायपुर (छ.ग) 492002

धान संग्रहण केन्द्रों में अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों नियोजन हेतु आर.एफ.पी

विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
01	निविदाकर्ता का नाम, पता तथा निर्धारित शेड्यूल	2
02	आर.एफ.पी के संबंध में संक्षिप्त उद्बोधन	3
03	आर.एफ.पी के लिए मार्गदर्शक सूचनाएं (परिशिष्ट–1)	4–5
04	नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों के कर्तव्य/योग्यताएं तथा आयु सीमा	6
05	प्रस्तावकर्त्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी बीड हेतु परिशिष्ट –2	7–8
06	कर्मचारी एवं श्रमिक हेतु निविदा दर भाग (ख) वित्तीय बीड हेतु परिशिष्ट –3	9
07	निविदाकर्त्ता से संविदा का प्रारूप परिशिष्ट –4	10–12
08	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट –5	13–18
09	अमानत राषि **R.T.G.S/NEFT** के माध्यम से जमा हेतु जिलेंवार बैंक खातें की सूची परिषिष्ट –6	19
10	धान संग्रहण केन्द्रों में आवष्यक अनुमानित अर्धकुषल/अकुषल श्रमिकों की संख्या परिशिष्ट – 7	20–22

1) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक

धान संग्रहण केन्द्रों में अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक हेतु आर.एफ.पी

1. बिडिंग कार्यक्रम –

1. निविदाकर्ता का नाम –श्री/सुश्री .....
2. निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम– .....
3. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो.नं. .....
4. फार्म का मूल्य – 5,000.00 रूपये (समस्त कर सहित) (रूपये पांच हजार मात्र)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए ऑनलाईन ई–निविदा के माध्यम से श्रमिकों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन ई–निविदा हेतु शेड्युल निम्नानुसार है :–

Bid start Date	24-11-2018	05.00 PM
Bid Due Date	08-12-2018	05.00 PM
Bid Open Date from	08-12-2018	06.00 PM

टिप्पणी

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. निविदा दस्तावेज दिनांक 08–12–2018 शांय 06.00 बजें तक ऑनलाईन जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देष एवं प्रकिया का विधिवत् अध्ययन कर ले एवं अंतिम समय के इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई ना हो। अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नही हाने पर समयावृद्वि करने हेतु दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और न ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा। फार्म की राषि रूपये 5,000.00 (पांच हजार रूपयें) विपणन संघ के संबंधित जिलें के बैंक खाते में **R.T.G.S/NEFT** के माध्यम से या सीधे बैक खाते में ऑनलाईन जमा किया जाना है एवं रूपये 311/–(तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिशन फीस वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।
4. निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले ही निविदाकार का ई प्रोक्युरमेंट वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित् हो।
5. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 22 तक है जिसे ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

2. संक्षिप्त उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

छत्तीसगढ़ राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषकों से धान खरीदी छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ, द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में उपार्जित धान का भण्डारण जिले में निर्धारित संग्रहण केन्द्रों में किया जाता है। संग्रहण केन्द्रों में धान के भण्डारण, किस्म नियंत्रण, स्टेक गिनने, ट्रक लोडिंग अनलोडिंग एवं रिकार्ड संधारण हेतु अर्धकुषल/अकुषल श्रमिक हेतु संग्रहण केन्द्रवार खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

1. इस हेतु निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न है :–
   - (I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देष एवं मार्गदर्षक सूचनाएं है।
   - (II) परिशिष्ट '2' निविदा फार्म (भाग–क) तकनीकी बीड हेतु।
   - (III) परिशिष्ट '3' दर प्रस्तुत करने हेतु निविदा फार्म (भाग–ख) वित्तीय बीड हेतु।
   - (IV) परिशिष्ट '4' संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप।
   - (V) परिशिष्ट '5' **''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप।**
   - (VI) परिशिष्ट '6' अमानत राषि R.T.G.S के माध्यम से जमा हेतु जिलेंवार बैक खातें की जानकारी
   - (VII) परिषिष्ट '7' संग्रहण केन्द्रों में आवष्यक अनुमानित अर्धकुषल/अकुषल श्रमिक की संख्या।

निविदाकार से अनुरोध है कि इन दस्तावेजों को भली–भंति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें अर्धकुषल/अकुषल श्रमिकों की पूर्ति हेतु निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट '3' में साफ–साफ अंकों एवं शब्दों में अंकित कर ऑनलाईन प्रस्तुत करें।

2. निविदाकार सें यह भी अनुरोध है कि ऑनलाईन ई–निविदा के साथ आवष्यक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
3. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देष एवं शर्ते तथा मार्गदर्षक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्त, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट निविदा प्रपत्र संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार को मान्य होगा।
4. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर वाले निविदाकार से प्राप्त निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नहीं होती है, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता है।
5. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट '1' के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
6. निविदाकार द्वारा निविदा ऑनलाईन भरी जावेगी एवं ऑनलाईन में दिये गये विवरण को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।
7. प्रत्येक विवरण अपेक्षित जानकारी के साथ पूर्णरूप से भरा जावे। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरें) प्रस्तुत करें।

शुभकामनाओं सहित

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी
विपणन संघ मर्यादित,
रायपुर

परिषिष्ट–1

3. निविदा निर्देष एवं मार्गदर्षक सूचनाएं

1. विपणन संघ के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रारूप में ही ऑनलाईन ई–निविदा प्रस्तुत की जावें, जिसमें एक तकनीकी बीड (निविदा दस्तावेज के भाग ''क'') एवं दूसरा वित्तीय बीड (निविदा दस्तावेज के भाग ''ख'') अलग–अलग होगा तथा तथा ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदाकर्ता निविदा के परिशिष्ट–2 अनुसार अनिवार्य दस्तावेज की नोटरी से प्रमाणित प्रति स्केन कर ऑनलाईन संलग्न करें, यह सभी दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न नहीं होने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार की जावेगी।
3. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ जिलों के संग्रहण केंद्रों/इकाईयों हेतु अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक की आवश्यकता हेतु 01 वर्ष की अवधि के लियें निविदा आमंत्रित की जा रही है। आवष्यकतानुसार अवधि घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
4. विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों/ईकाईयों में अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक की अनुमानित आवश्यकता परिषिष्ट – 07 के अनुसार होगी।
5. जिले के कार्यशील संग्रहण केन्द्रों की सूची संबंधित जिलें के जिला विपणन अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
6. अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों को आवश्यकतानुसार विपणन संघ की किसी भी इकाई में कार्यभारित किया जा सकता है।
7. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के पास यह अधिकार होगा कि, निविदा के निर्देशों एवं शर्तो के अधीन अनुबंध की अवधि आपसी सहमति के आधार पर अतिरिक्त एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
8. निविदाकर्ता का पंजीयन छ0ग0 राज्य के किसी भी जिले में होना अनिवार्य है। स्थानिय निकाय का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. ई.पी.एफ. में पजीकृत ठेकेदारों की निविदा ही स्वीकार योग्य होगी। राज्य शासन द्वारा निर्धारित तथा समय–समय पर संषोधित न्यूनतम मजदूरी दर का भूगतान किया जाना आवश्यक है।
10. workmen compensation policy के अंतर्गत बीमा, E.C. Act के अनुसार अधिकतम मासिक वेतन हेतु कम किया जाना आवष्यक है।
11. अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों हेतु नियोजित कर्मियों का नियमानुसार न्यूनतम पारिश्रामिक तथा अन्य वैधानिक देयता जैसेः– भविष्यनिधि, ई.एस.आई, ग्रैच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जी. एस.टी. का भुगतान इत्यादि के लिए निविदाकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
12. निविदाकर्ता को जिले के समस्त संग्रहण केन्द्रों/ईकाईयों के लिए दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, किसी भी जिले के लिए आंशिक संग्रहण केन्द्रों/ईकाईयों के लिए प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

13. निविदाकर्ता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र/ईकाई के लिए रूपये 50,000/–(रूपये पचास हजार मात्र) के मान से पृथक–पृथक अमानत राशि छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. संबंधित जिले के बैक खाते क्रमांक (परिषिष्ट 6 में उल्लेख अनुसार) R.T.G.S/NEFT के माध्यम से या सीधे बैंक खाते में ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है तथा उसकी पावती निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

14. निविदाकर्ता द्वारा कार्यभारित अर्धकुषल/अकुषल श्रमिक के लिए विपणन संघ द्वारा जारी समस्त दिशनिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। निविदाकर्ता का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अनुबंध के कंडिकाओं का उल्लंघन होगा।

15. निविदाकर्ता विपणन संघ की संपत्ति की सुरक्षा के लिए पूर्णरूपेण जवाबदार होगा एवं विपणन संघ की संपत्ति में अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हुई क्षति की भरपाई के लिए निविदाकर्ता जवाबदार होगा। निविदाकर्ता द्वारा कार्यभारित अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों के किसी भी क्रियाकलाप अथवा लापरवाही से हुई क्षति की भरपाई करने के लिए बाध्य होगा, अन्यथा निविदाकर्ता की अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी एंव निविदाकर्ता को विपणन संघ में कार्य न करने के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

16. निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बीड के लिये प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज/सहपत्र के लिये संलग्न किये गये समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध एवं प्रमाणिक होने चाहिये। इनकी वैधता/सत्यता के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के लिये निविदाकर्ता पूर्णरूप से जवाबदार होंगे। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बीड स्वीकार होने पर हमारे द्वारा तकनीकी बीड में ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाणपत्र, दस्तावेज की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित प्रति संघ द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

17. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के निर्देष क्रमांक/243/वि/नि/चार/ 2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 के अनुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या, मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

18. उपरोक्त समस्त कंडिकायें अनुबंध का भाग होगी।

19. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेंगा जिसका प्रकाषन समाचार पत्रों में अथवा विपणन संघ की वेबसाईट में अपलोड किया जावेंगा तथा संशोधन/शुद्धि पत्र निविदा भरने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के पूर्व तक जारी किया जा सकता है।

4. नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों की कर्तव्य –

4.1 अर्धकुषल कर्मचारी के कर्तव्य –

1. स्टेक निर्माण हेतु स्टेक प्लान अनुसार बोरों का स्टेक बनवाना।
2. उपार्जन केन्द्रों से प्राप्त ट्रकों से किस्मवार धान स्टेक में खाली कराना।
3. ट्रक खाली कराते समय बोरों को गिनना एवं खाली कराना।
4. ट्रक खाली कराते समय धान की क्वालिटी का निरीक्षण एवं परीक्षण करना।
5. धान के परिदान के समय ट्रक में बोरों को गिनकर लोड कराना।
6. किस्मवार धान का परिदान कराना।
7. स्टेकवार बोरों का हिसाब–किताब रखना।
8. धान के स्टेक में धान आवक जावक के समय स्वीपेज से प्राप्त धान को बोरों में भराकर स्टेक में लगाना तथा प्रविष्टि कराना।
9. स्टेक के आसपास पानी निकासी हेतु आवश्यकता अनुसार नाली आदि की व्यवस्था कराना।
10. संग्रहण केन्द्र के प्रवेष/निकासी द्वार पर वाहन के आवक जावक के समय एंडरॉइड आधारित गेट पास एंट्री एप द्वारा प्रविष्टि करना।

4.2 अकुषल कर्मचारी के कर्तव्य –

1. स्टेक के लगने से उठाव तक स्टेक को प्रतिदिन निगरानी करना, गिनना एवं सुरक्षा करना।
2. स्टेक में कैप कव्हर ढकना।
3. धान के स्टेकों में आवष्कतानुसार कीटनाषक दवाईयों का छिड़काव करना।
4. धान प्राप्ति के समय स्टेक में बोरों की संख्या गिनना।
5. धान के निकासी के समय बोरों को गिनना। स्टेक में स्वीपेज धान को उठाना तथा स्टेक में लगवाना।

परिषिष्ट–2

भाग – ''क''

(तकनीकी बीड हेतु)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,

.....छ.ग.

महोदय,

1. मेरे द्वारा/हमारे द्वारा अर्धकुशल/अकुशल की निविदा प्रस्तुत की जा रही है, मेरा/हमारा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	
1.	निविदाकर्ता का नाम– श्री/सुश्री	
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम–	
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो.नं.	
4.	व्यवसाय की पेन संख्या – (विगत दो वर्षों की आयकर विवरणी की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
5.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं.	
6	लेबर लाइसेन्स नं. एवं वैधता तिथि	
7.	भविष्य निधि, लाइसेन्स नं. एवं कोड नं. (विगत तीन वर्षो की भविष्य निधि जमा की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
8.	ई.एस.आई. लाइसेन्स नं. एंव कोड नं.	
9.	कर्मचारियों/श्रमिकों हेतु ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का छ.ग. राज्य का स्थानिय निकाय पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
10.	भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।	

11.	अमानत राशि	R.T.G.S/NEFT no .दिनांक बैक का नाम
12.	निविदा फार्म के मूल्य का विवरण	R.T.G.S/NEFT no दिनांक.. बैक का नाम
13.	छ.ग. में संस्थान का आफिस एवं ब्रांच की सूची संपूर्ण पता सहित पृथक से संलग्न करें।	
14.	वर्तमान में कितने कर्मचारियों/श्रमिकों आपके अधिनस्थ कार्यरत है	कर्मचारी श्रमिक
15.	वर्तमान में कार्यरत अर्धकुशल/अकुशल किस–किस संस्थान में कार्यरत है की सूची संलग्न करें जिसमें संस्थान का नाम, स्थान तथा अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की संख्या दर्शित हों।	
16.	विपणन संघ की मांग अनुसार आपके द्वारा कर्मचारियों/श्रमिकों कितने दिन में नियोजित किया जा सकता है?	
17.	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेख के अतिरिक्त अन्य विवरण यदि हो तो	

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते है कि निविदा फार्म के साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही–सही है।

दिनांक .....

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

फर्म का नाम .....

सील .....

परिषिष्ठ–3

भाग – ''ख''

(वित्तीय बीड हेतु)

अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक प्रदाय हेतु

द्वारा :– दूरभाष :–कार्यालय.....

मेसर्स..... निवास.....

.....

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी
छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
जिला.....(छ.ग.)

महोदय,

आपके द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 (निविदा स्वीकृति दिनांक से ..... की अवधि) में अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक के प्रदाय हेतु आमंत्रित ई–निविदा के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार जिलेवार दरें प्रस्तुत की जा रही है :–

क्र.	जिले का नाम	प्रति व्यक्ति पारिश्रमिक (मासिक मजदूरी (वैधानिक समस्त देयताओं सहित) (राशि रूपये में)	
		अर्धकुशल	अकुशल
1	2	3	4
1			
2			
3			

मेरे द्वारा उपरोक्त दरें आपकी समस्त निविदा शर्तों को मान्य करते हुए दी गई है।

उपरोक्त कॉलम नंबर 3 एवं 4 में प्रस्तुत की गई प्रतिव्यक्ति पारिश्रामिक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। कार्यरत अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की समस्त वैधानिक जवाबदारी मेरी होगी, किसी भी प्रकार के विवाद एवं अन्य किसी भी प्रकार की देयता एवं क्षतिपूर्ति की जवाबदेही विपणन संघ की नहीं होगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का पूरा नाम.....
व पता (आई.डी.प्रुफ सहित).....

परिषिष्ठ–4

संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप

(रू. 50/– के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक .....दिन.....को यह अनुबंध पत्र छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., जिला विपणन अधिकारी .....जिला..... (छ.ग.) जिसे आगे चलकर ''विपणन संघ'' कहा जावेगा ''पक्ष कमांक–1 तथा मेसर्स ....पक्ष कमांक–2'' के मध्य किया जा रहा है :–

1. यह कि, पक्ष क्र. 1 द्वारा खरीफ वर्ष ..... (निविदा स्वीकृति दिनांक से .....) में संग्रहण केन्द्रों में अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक हेतु पक्ष क्र. 2 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दर स्वीकृत की गई है, जो संलग्न है।
2. यह कि, पक्ष क्र. 2 संविदा अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक ..... तक कार्य के लिए वचनबद्ध है, जिसे आपसी सहमति पर आगे की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।
3. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा संग्रहण केन्द्रों में उपलब्ध कराये गये अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक का नाम, पिता का नाम, पता एवं फोटो तथा आधार कार्ड सहित पक्ष क्र. 2 को पक्ष क्र. 1 के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यह कि, पक्ष क्र. 2 को पक्ष क्र. 1 द्वारा अतिरिक्त कार्य सम्पन्न करने हेतु श्रमिक की मांग की जायेगी, उसे अगले दिवस में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पक्ष क्र. 1 द्वारा अन्य स्त्रोतों से कार्य कराया जावेगा, जिससे होने वाली हानि पक्ष क्र. 2 के देयकों से वसूल की जावेगी।
5. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक हेतु स्वीकृत किये गये दर से माह में किये गये कार्य का माहवार देयक माह समाप्त होने के दिनांक से 3 दिवस के भीतर पक्ष क्र. 1 को प्रस्तुत करेगा, जिसे परीक्षण उपरांत पक्ष क्र. 1 द्वारा भुगतान किया जावेगा।
6. यह कि, निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक पर लागू सभी श्रम नियम, बोनस नियम, भविष्य निधि नियम एवं समय–समय पर लागू होने वाले समस्त शासकीय नियम/अधिनियम का पालन करने की जवाबदारी पक्ष क्र. 2 की होगी।
7. यह कि, पक्ष क्र. 2 के पास श्रम विभाग, सेवा कर विभाग, भविष्यनिधि, ई.एस.आई, ई.पी.एफ., इत्यादि तथा अन्य अनुसांगिक विभागों/संस्थाओं से वैध अनुज्ञप्ति/पंजीकृत होना आवश्यक होगा। निविदाकर्ता के पास वर्कमेन कमपनशेसन पॉलिसी होना अनिवार्य होगा।
8. यह कि, पक्ष क्र. 2 के पास अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक प्रदाय के संबंध में किसी भी संस्था का विगत दो वर्षों का संतोषजनक एंव सफलतापूर्वक कार्यनिष्पादन का अनुभव होना चाहिए। पक्ष क्र. 2 को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. यह कि, पक्ष क्र. 2 को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र के लिए 50,000/– (पचास हजार रूपये) के हिसाब से सुरक्षा निधि के रूप में किसी अधिसूचित बैंक की प्रत्याभूति/डिमांड ड्रॉफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह राषि कार्य पूर्णता के उपरांत वापसी योग्य होगी। इस राषि पर विपणन संघ द्वारा किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा।
10. यह कि, पक्ष क्र. 2 को नियोजित कर्मियों का नियमानुसार न्यूनतम पारिश्रामिक तथा अन्य वैधानिक देयता जैसेः–भविष्यनिधि, ई.एस.आई, ग्रैच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सर्विस टैक्स, का भुगतान इत्यादि के लिए निविदाकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

12. यह कि, पक्ष क्र. 2 के द्वारा कार्यभारित अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक के लिए विपणन संघ द्वारा जारी समस्त दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पक्ष क्र. 2 का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अनुबंध के कंडिकाओं का उल्लंघन होगा।

13. यह कि, पक्ष क्र. 2 को विपणन संघ की संपत्ति की सुरक्षा के लिए पूर्णरूपेण जवाबदार होगा एवं विपणन संघ की संपत्ति में अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हुई क्षति की भरपाई के लिए पक्ष क्र. 2 जवाबदार होगा। पक्ष क्र. 2 द्वारा कार्यभारित अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक के किसी भी क्रियाकलाप अथवा लापरवाही से हुई क्षति की भरपाई करने के लिए बाध्य होगा, अन्यथा पक्ष क्र. 2 की धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी साथ ही वसूली संबंधी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी एवं पक्ष क्र. 2 को विपणन संघ में कार्य न करने के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

14. यदि पक्ष क्रमांक 2 द्वारा कार्य में शिथिलता/उदासीनता/लापरवाही परिलक्षित होने पर या उनके इस कार्य से विपणन संघ को किसी प्रकार की क्षति होती है तो अनुबंध निरस्त कर नियमानुसार अन्य निविदाकार को कार्य सौंपा जायेगा एवं प्रथम निविदाकार की अमानत राशि जब्त करने का अधिकार विपणन संघ को होगा।

15. सभी प्रकार के कर/ड्यूटी जो कि केन्द्र/राज्य सरकार व स्थानीय संस्था द्वारा समय–समय पर लगाया जावेगा उसका वहन पक्ष क्रमांक 2 के द्वारा किया जावेगा।

16. यह कि, पक्ष क्र. 2 को कार्य आरंभ करने के पूर्व कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत बीमा की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य अवधि में कार्य के दौरान किसी श्रमिक को आघात पहुंचता है या मृत्यु हो जाती है तो उससे संबंधित हर्जाना पक्ष क्र. 2 को वहन करना होगा। इसमें पक्ष क्र. 1 की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

17. यह कि, अनुबंध की अवधि का उल्लंघन यदि पक्ष क्र. 2 द्वारा किया जाता है तो पक्ष क्र. 1 किसी भी समय बिना कारण बताये पक्ष क्र. 2 को अग्रेत्तर समय के लिए निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. मुख्यालय रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।

18. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक की सूची में कोई भी कर्मचारियों/श्रमिकों मिल प्रांगण अथवा मिल कार्य से संबंधित किसी भी क्षेत्र में अवांछनीय हरकतें करता है तो उसे तत्काल कार्य से वंचित कर दिया जायेगा एवं उसके लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही पक्ष क्र. 2 पर की जावेगी।

19. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक की सूची अनुसार उपस्थिति शत्–प्रतिशत सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक अनुपस्थित रहता है तो उसके बदले में अतिरिक्त अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक दिया जाकर आवश्यकतानुसार कार्य सम्पन्न कराया जावेगा।

20. यह कि, पक्ष क्र. 2 निविदा की अवधि में प्रचलित समस्त नियमों और कानूनों का पालन करेगा जो कि श्रम आयुक्त द्वारा प्रदत्त किया गया हो। शासन द्वारा लागू समस्त विधियों, उपविधियों, नियमों को पालन करने का उत्तरदायित्व पक्ष क्र. 2 का होगा। पक्ष क्र. 2 को दिया गया कार्य अहस्तांतरणीय है और किसी भी दशा में अन्य पक्ष को अंतरित/हस्तांतरित नहीं होगा।

21. यह कि पक्ष क्र. 2 द्वारा स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो यह कि पक्ष क्र. 2 के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिये विपणन संघ में कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दो वर्षों के लिये काली सूची में डाली जावेगी। इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा।

22. पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रत्येक कार्यरत अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक का फोटो युक्त परिचय पत्र संग्रहण केन्द्र प्रभारी एवं जिला विपणन अधिकारी को सूची सहित प्रस्तुत करेंगा तथा जारी किए गए अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक (परिचय पत्र वाले) ही संग्रहण केन्द्र में प्रवेश करेगा। बिना परिचय पत्र के किसी भी अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक को संग्रहण केन्द्र प्रभारी/जिला विपणन अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के प्रवेश नही दिया जावेगा।

23. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

24. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, के निर्देष क्रमांक/243/वि/नि/चार /2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 के अनुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
पदनाम.....	पदनाम.....
(पक्ष क्र. 1)	(पक्ष क्र. 2)
सील.....	सील.....
साक्षी :–	**साक्षी :–**
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम व पता.....	नाम व पता.....
.....	.....

परिषिष्ट – "5"

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20, between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri_____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri_____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment /Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER /SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/ SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of..

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the ..... (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of _____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same

shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. The BIDDER /SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at..... on .....

BUYER/PRINCIPAL

BIDDER/SELLER/CONTRACTOR

Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Destination
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness **Witness**

1) _____ **1)** _____

2) _____ **2)** _____

परिषिष्ट – "6"

जिला कार्यालयों के बैंक खातों की जानकारी

क्र.	जिला कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	खाता नंबर	IFSC Code NO.
1	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **DMO Raipur**	Bank of Baroda, Raipur (C.G.)	45760200000314	BARB0SANRAI
2	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Janjgir**	State Bank of India	10784114104	SBIN0000395
3	C.G. State Co Op Mkt Fed Ltd. Dudhawa Road, **Kanker**	State Bank of India, Jagdalpur Road, Kanker (C.G.)	11229285587	SBIN0000401
4	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Dhamtari**	Axis Bank, Dhamtari	667010200001328	UTIB0000667
5	Dmo Chhattisgarh Rajya Sahkari Wipanan **Bemetara**	State Bank of India, Mohbhatta Road Bemetara	32721002365	SBIN0000296
6	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Rajnandgaon**	Punjab National Bank, Rajnandgaon (C.G.)	0492002100021410	PUNB0049200
7	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Raigarh**	State Bank of India, Raigarh (C.G.)	10535703364	SBIN0003019
8	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Bilaspur**	State Bank of India, Bilaspur (C.G.)	10826084988	SBIN0000336
9	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Mungeli**	State Bank of India, Mungeli (C.G.)	32781531434	SBIN0001144
10	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Baloda Bazar (C.G.)**	State Bank of India, Baloda Bazar C.G.)	32773029625	SBIN0001048
11	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Korba**	State Bank of India, Korba C.G.)	10427223292	SBIN0006047
12	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd.**Bijapur**	State Bank of India, Bijapur C.G.)	33726419784	SBIN0002835
13	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Jagdalpur**	State Bank of India, Jagdalpur C.G.)	10456193099	SBIN0000392
14	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Jashpu**r	State Bank of India, Jashpur C.G.)	10913924422	SBIN0000542
15	C.G. Rajya Sah. Vipnan Sangh Mydt. **Kondagaon (C.G.)**	State Bank of India, Kondagaon (C.G.)	32802306576	SBIN0001265
16	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Mahasamund**	State Bank of India, Mahasamund	10757269309	SBIN0000416
17	C.G. State Co- Operative Marketing Federation Ltd. **Durg**	Axis Bank Bhilai (CT), Bhilai 490020	916010007214902	UTIB0000214
18	C.G. Rajya Sah. Vipnan Sangh Mydt. **Balod**	Axis Bank, Jhalmala, Balod (C.G.)	918020011305725	UTIB0001729
19	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. Baikuthpur Dist. **Koriya**	State Bank of India, Baikuthpur	11032259558	SBIN0000449
20	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Narayanpur (C.G.)**	State Bank of India, Narayanpur	32799136558	SBIN0002878
21	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Kawardha (C.G.)**	State Bank of India, Bahadur Ganj ward, SBI Road, Kawardha (C.G.)	11219095279	SBIN0000406
22	C.G. Rajya Sah. Vipnan Sangh Mydt. Jila Karyalay **Gariaband**	State Bank of India, Gariaband (C.G.)	32674715084	SBIN0004745
23	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Ambikapur (C.G.)**	State Bank of India, (00310) Ambikapur, Dist. Sarguja	10905979888	SBIN0000310
24	C.G. Rajya Sah. Vipnan Sangh Mydt. **Balrampur**	State Bank of India, Main Road, Balrampur (C.G.)	33327273622	SBIN0015464
25	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Surajpur (C.G.)**	State Bank of India, Surajpur (C.G.)	33323233694	SBIN0000576
26	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Dantewada (C.G.)**	State Bank of India, Dantewada Dist. Bastar	10753199479	SBIN0000545
27	C.G. State Co- Operative Marketing Fedn. Ltd. **Sukhma (C.G.)**	State Bank of India, Dist. Sukhma	36109887538	SBIN0002894

परिशिष्ट –7

विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रो/इकाईयों में अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक की अनुमानित आवश्यकता का विवरण

क्र.	जिले का नाम	क	संग्रहण केन्द्र का नाम	अर्द्ध कुशल श्रमिक	अकुशल श्रमिक
1	कवर्धा	1	**डभराभांट**	15	15
		2	**बाजार चारभांटा**	20	20
	योग :–			**35**	**35**
2	कांकेर	3	**कांकेर**	10	10
		4	**कांकेर 2 (करप)**	15	15
		5	**भानुप्रतापपुर (गोदाम)**	10	10
		6	**लखनपुरी**	15	15
	योग :–			**50**	**50**
3	कोरबा	7	**कटघोरा**	10	10
		8	**डोगरीभांठा (उरगा)**	10	10
	योग :–			**20**	**20**
4	गरियाबंद	9	**कुन्देलभांठा**	25	25
	योग :–			**25**	**25**
5	जशपुर	10	**केराकछार (पत्थलगांव)**	10	10
	योग :–			**10**	**10**
6	जांजगीर	11	बोडासागर– 2 सेरो	15	15
		12	मंडी प्रांगण सक्ती	20	20
		13	मिल प्रांगण जांजगीर	25	25
		14	शा.भूमि अकलतरा	15	15
		15	शा.भूमि डभरा	15	15
	योग :–			**90**	**90**
7	दंतेवाड़ा	16	गीदम	10	10
	योग :–			**10**	**10**
8	दुर्ग	17	**बासीन**	15	15
		18	**कोडिया**	15	15
		19	**अरसनारा**	15	15
		20	**उप केन्द्र ठेंगाभांठा**	20	20
		21	**जेवरा सिरसा**	10	10
		22	**सेलूद फड**	25	25
	योग :–			**100**	**100**
9	धमतरी	23	**भखारा**	10	10
		24	देवरी भखारा	10	10
		25	नगरी सिहावा	10	10
		26	चिटौद	20	20
		27	भांठागांव (कुरूद)	20	20
		28	भोयना	20	20
		29	भोयना (जंवरगांव)	15	15
	योग :–			**105**	**105**

विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रो/इकाईयों में अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक की अनुमानित आवश्यकता का विवरण

क्र.	जिले का नाम	क	संग्रहण केन्द्र का नाम	अर्द्ध कुशल श्रमिक	अकुशल श्रमिक
10	बस्तर	30	जगदलपुर (बिंरिंगपाल)	15	15
	योग :–			**15**	**15**
11	राजनांदगांव	31	कलकसा	10	10
		32	घोटिया	20	20
		33	ठेलकाडीह	15	15
		34	**बीजाभांठ लक्ष्मी नगर घुघवा साल्हे**	20	20
		35	बांधाबाजार (सेवताटोला)	20	20
		36	मदुराकुही	10	10
		37	सिंघोला	15	15
	योग :–			**110**	**110**
12	रायगढ़	38	खरसिया	10	10
		39	बरमकेला	10	10
		40	मेडिकल का.ग्रा. लोहरसिग	25	25
		41	हरदी	15	15
	योग :–			**60**	**60**
13	सरगुजा	42	अंबिकापुर (चिखलीडीह)	15	15
		43	सीतापुर	10	10
	योग :–			**25**	**25**
14	सुरजपुर	44	सुरजपूर **(देवनगर)**	10	10
		45	**सूरजपुर (पतरापारा)**	10	10
	योग :–			**20**	**20**
15	बिलासपुर	46	**पेण्ड्रारोड**	10	10
		47	**बिल्हा**	15	15
		48	**भरनीभाठा**	15	15
		49	**मण्डी प्रांगण कोटा**	10	10
		50	**मोपका**	15	15
		51	**सेमरताल**	15	15
	योग :–			**80**	**80**
16	मुंगेली	52	**गितपुरी**	10	10
		53	**लोरमी**	15	15
		54	**अरईबंद–1**	10	10
		55	**अरईबंद–2**	10	10
	योग :–			**45**	**45**
17	बलौदाबाजार	56	**कसडोल**	10	10
		57	**हथबंद**	25	25
		58	**भाठापारा**	20	20
	योग :–			**55**	**55**

विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रो/इकाईयों में अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक की अनुमानित आवश्यकता का विवरण					
क्र.	जिले का नाम	क्र	संग्रहण केन्द्र का नाम	अर्द्ध कुशल श्रमिक	अकुशल श्रमिक
18	बेमेतरा	59	लेंजवारा (सरदा)	25	25
	योग :–			**25**	**25**
19	रायपुर	60	अभनपुर	15	15
		61	कुरूदभांठा (लखौली)	15	15
		62	जौंदा (राजिम)	25	25
		63	तिल्दा	25	25
		64	धरसींवा	15	15
		65	बकतरा (मंदिर हसौद)	20	20
	योग :–			**115**	**115**
20	बालोद	66	जगतरा फड	20	20
		67	फुण्डाभांठा	20	20
		68	धोबनपुरी	20	20
		69	मालीघोरी	15	15
	योग :–			**75**	**75**
21	महासमुंद	70	पिथौरा	20	20
		71	बसना	25	25
		72	बागबाहारा	15	15
		73	महासमुंद	15	15
		74	सरायपाली	20	20
	योग :–			**95**	**95**
22	कोण्डागांव	75	कोण्डागांव	10	10
	योग :–			**10**	**10**
23	बलरामपुर	76	डकवा	15	15
				15	**15**
	महायोग :–			**1190**	**1190**